"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 796] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक 12085/3272/21-ब/छ. ग./2019. — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-ग में, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सचिव, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 9 की उप-धारा (3) में यथा परिभाषित न्यायिक अधिकारी होगा."

No. 12085/3272/XXI-B/C. G./2019. — In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) , the State Government, in consultation with the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-C, for entry in column (2) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :-

"Secretary,who shall be a Judicial Officer as defined in sub-section (3) of Section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), appointed by the State Authority."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.